न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 17/2012

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—मदनलाल पुत्र रामजीलाल " फोत " । जातिगण ब्राहम्ण
1/1—मायादेवी पत्नी स्व0 मदनलाल ।
1/2—राधेश्याम । । निवासीगण ग्राम बसईनबाव
1/3—महावीरप्रसाद । पुत्रगण स्व0 मदनलाल ।
1/4—सत्यप्रकाश । । तहसील सैपऊ व जिला धौलपुर
2—नन्दकिशोर । पुत्रगण
3—शिवदत्त । रामजीलाल
4—गोपाल । जातिगण ब्राहम्ण
5—हाकिम । निवासीगण ग्राम बसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—
प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थीगण की ओर से — श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट

निर्णय दिनांक 08.08.2018

तहसीलदार सैंपऊ द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 5 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम बसईनबाव तहसील सैपऊ मुताबिक मिसिल बन्दोवस्त सम्वत् 2022 के अनुसार उक्त भूमि की किस्म गैर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

मुमकिन पोखर दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन/नियमन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 476 वाके ग्राम बसईनबाव–ए में छीतरिया पुत्र गोकुला जाति ब्राहम्ण निवासी वसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा पर गैर खातेदार दर्ज हुआ तथा नामान्तरकरण संख्या 1173 ग्राम बसईनबाव–ए से उक्त को ही खातेदारी प्रदान की गयी है। नामान्तकरण संख्या 1176 ग्राम बसईनबाव–ए से वसियतनामा से अप्रार्थीगण मदनलाल, नन्दकिशोर, शिवदत्त, गोपाल, हाकिमसिंह पिसरान रामजीलाल के नाम दर्ज हुआ बाद में नवीन खसरा नम्बर 6003/1807 रकवा 1 बीधा 05 विस्वा हुआ। वर्तमान में जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ के खाता संख्या 223 में उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पी.एन.बी.शाखा बसईनबाव में रहन दर्ज है। उक्त सभी नामान्तरकरण सिविल रिट (जनहित याचिका) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में खसरा नम्बर 6003/1807 रकवा 1 वीधा 05 विस्वा किस्म गैरमुमकिन पोखर होने के कारण पूर्व में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने योग्य है। वाद राज0सरकार की ओर से दर्ज कराया जा रहा है। अन्दर मियाद है तथा कोई शुल्क देय नही है। अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव, खेवट खतौनी सम्बत 2026 से 2029 ग्राम वसईनबाव, नकल जमाबन्दी ग्राम बसईनबाव–ए सम्वत् 2067–70, नामान्तरकरण संख्या 476, नामान्तरकरण संख्या 1173, नामान्तकरण संख्या 1176 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1/1 लगा0 1/4 है जो बावजूद तमील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 31.5.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–2लगा05 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि विवादित आराजी मौके पर कभी भी पोखर नहीं रही और न ही वर्तमान में मौके पर पोखर है वर्तमान में उत्तरदातागण व अन्य विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार के निरन्तर रूप से काश्त कर रहे है। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का जल सगृहण नहीं है और न ही जल के प्रवाह क्षेत्र में है। विवादित खसरा नम्बर 1807 रकवा 5 वीधा 16 विस्वा में से 1 वीधा 5 विस्वा आराजी उत्तरदातागण के पूर्व पुरूष छीतरिया पुत्र गोकुला के हक में दिनांक 10.2.1976 को नियमन की गई थी तत्पश्चात कीमत जमीन जमा कराने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। छीतरिया के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

निधन के उपरान्त उत्तरदातागण विवादित आराजी पर मुताबिक वसीयत एकमात्र वारिस होने के कारण बतौर खातेदार काश्तकार के निरन्तर रूप से फसल प्राप्त कर रहे है। कानूनन तालाब या पोखर की भूमि को अस्थाई काश्त हेतु आवंटन किया जा सकता है। यह मत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर आर डी 1985 पेज 174 एवं आर आर डी 2010 पेज 291 में प्रतिपादित किया है। आवंटन या नियमन के पश्चात आवंटित शुदा आराजी की किस्म स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है उसके लिये प्रथक किस्म परिवर्तन आदेश की आवश्यकता नहीं है। विवादित आराजी पर उत्तरदातागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। उत्तरदातागण को खातेदारी अधिकारों को बिना किसी समुचित आधार के रैफरेन्स की समरी प्रोसीडिग्स द्वारा वापिस नहीं लिया जा सकता है। खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा वापिस लिये जा सकते है जैसा कि आर आर डी 2008 पेज 66 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित किया गया है। जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार के तथ्य वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। रैफरेन्स बिना किसी समुचित आधार के असीमिति समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात पेश किया है। देरी का कोई भी समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। असीमित विलम्ब के आधार पर रैफरेन्स काबिल खारिजी के है। यह मत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर आर डी 1996 पेज 1706 एंव आर आर डी 2010 पेज 499 में निर्णित किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रार्थी खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। विद्वान पैरोकार सरकार का कथन है कि उक्त आराजी आवटंन से पूर्व किस्म गैर मुमकिन पोखर सिवायचक विला लगानी दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन पोखर पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम में गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। ऐसे नल एण्ड वोयड आदेश के विरूद्व रैफरेन्स करने की कोई समय सीमा नहीं है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 476, नामान्तरकरण संख्या 1173, नामान्तकरण संख्या 1176 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ नियम बिरूद्व स्वीकृत हुऐं है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाब, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो। इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर प्रकरण स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाव में अंकित बिन्दुओं को ही अपनी बहस होने का कथन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का बसईनबाव–ए, खेवट खतौनी सम्वत 2026 से 2029 ग्राम बसईनबाव, नकल जमाबन्दी ग्राम बसईनबाव–ए सम्वत् 2067–70, नामान्तरकरण संख्या 476, नामान्तरकरण संख्या 1173, नामान्तकरण संख्या 1176 वाके ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ का अवलोकन किया। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 5 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम बसईनबाव तहसील सैपऊ खेवट खतौनी सम्वत 2026 से 2029 ग्राम बसईनबाव में गैर मुमकिन पोखर के रूप में दर्ज रिकार्ड है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनाक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का भराव में किसी प्रकार बाधा नही हो इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दिये निर्देश अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ किस्म गैर मुमकिन पोखर का आवंटन/नियमन नल एण्ड वॉयड है जिसको कि निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना आवश्यक है।

अतः आदेश है कि ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ के आराजी खसरा नम्बर 1807 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर जिसका कि आवंटन/नियमन पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 476 वाके ग्राम बसईनबाव–ए में छीतरिया पुत्र गोकुला जाति ब्राहम्ण निवासी बसईनबाव तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को गैर खातेदार तथा नामान्तरकरण संख्या 1173 से उक्त को ही खातेदारी प्रदान की गयी है। नामान्तकरण संख्या 1176 से वसियतनामा से अप्रार्थीगण मदनलाल, नन्दकिशोर, शिवदत्त, गोपाल, हाकिमसिंह पिसरान रामजीलाल के नाम दर्ज हुआ बाद में नवीन खसरा नम्बर 6003/1807 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा हुआ। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम बसईनबाव–ए तहसील सैपऊ के खाता संख्या 223 में उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण नाम खातेदारी में दर्ज है व काबिज है, की खातेदारी अधिकार निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.9.2018 नियत की जाती है।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner